राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांकःएफ2(1)( )म.बा.वि/आ.क.को/05/पार्ट–2/ जयपुर दिनांक

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
(समस्त)

विषयः—सामूहिक बचत एवं बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त दावों के शीघ्र निस्तारण कराने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मानदेयकर्मियों के सामूहिक बचत एवं बीमा योजनान्तर्गत प्राप्त दावों का निस्तारण यथा समय हो ताकि लाभार्थी को योजनान्तर्गत मिलनेवाली राशि में अनावश्यक विलम्ब एवं कठिनाई/असुविधा न हो। इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता हैं कि अधीनस्थ परियोजना कार्यालयों की उक्त योजना में सम्मिलित महिला की मृत्यु होने तथा मानदेय सेवाओं से विमुक्ति होने पर उनके दावों को पूर्ण रूप से पूर्ति कर अतिशीघ्र भारतीय जीवन बीमा निगम, पेंशन एवं समूह बीमा इकाई, द्वितीय तन, जीवन प्रकाश, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर में प्रस्तुत करके निसतारण कराया जावे। जिला स्तर पर आयेाजित होने वाली बैठकों में भी सामूहिक बचत एवं बीमा योजना के सम्बन्ध में समीक्षा की जावें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर संबंधित उपनिदेशक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।
पत्र को प्राथमिकता देंवे।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकःएफ2(1)( )म.बा.वि/आ.क.को/05/पार्ट–2/ जयपुर दिनांक
प्रतिलिपिः—

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी .... (समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही यथासमय किया जाना सुनिश्चित करावें अन्यथा कि स्थिति में आप व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत्।

वित्तीय सलाहकार
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर।